

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)-249145

क कार्यालय :01376-255230

फैक्स :- 01376-255230 E-mail:- eechamba@gmail.com

पत्रांक

2141/406/39.

दिनांक 2-1/ 11 / 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वनप्रभाग, मुनिकीरेती / टिहरी वनप्रभाग, नई टिहरी, टिहरी गढवाल ।

विषयः

चम्बा मसूरी फल पटटी सूरकण्डा देवी ग्रा० स० पम्पिंग पे०यो० के वनभूमि प्रस्ताव में भारत सरकार (क्षेत्रीय कार्यालय) द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है:-

页0	किया जा रहा हैं:- आपित्तियाँ	निराकरण
	02	03
01	Authority letter uploaded in Part I is not matching with the details of the applicant.	आपत्ति का निराकरण कर भाग-1 A iii कॉलम पर अपलोड कर दिया गया है।
02	2. In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C (iv) Part I online, geo coordinates are shown on google map which does not serve the purpose. May provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	आपित का निराकरण कर भाग-1 C iv कॉलम पर अपलोड कर दिया गया है।
03	3. The digital map of area proposed for CA is provided in google map, which does not serve the purpose though the map provided in hard copy of the proposal but not uploaded at designated place in online in Part I. The State Govt may upload the correct map in designated place in online Part I.	आपत्ति का निराकरण कर भाग-1 Liv कॉलम पर अपलोड कर दिया गया है।
04	to the second in formation provided in hard	उक्त आपत्ति का निराकरण आपवे कार्यालय द्वारा किया जाना है।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम चम्बा, (टिहरी गढ़वाल)—249145

क कार्यालय :01376-255230

फ़ैक्स :- 01376-255230 E-mail :- eechamba@gmail.com

अधिशासी अभियन्ता

	आपत्तियाँ	निराकरण
क्र		03
01	02	आपत्ति का निराकरण कर भाग-1 K
)5	5. The FRA certificate uploaded in online Part I is without having date on the certificate and on the district level committee proceeding. The State Govt may provide revised FRA with DLC proceeding mentioning date.	कॉलम पर अपलोड कर दिया गया है।
06	6. The village level committee proceeding for village through which the proposed alignment is passing is not provided with the FRA certificate uploaded in online Part I. The complete document may upload in online Part I,	आपत्ति का निराकरण कर भाग-1 K कॉलम पर अपलोड कर दिया गया है।
07	column K. 7. The CA scheme provided in online Part II is for area 2.62 ha instead of area 2.84 ha. The revised CA scheme for area 2.84 ha may upload in online Part II.	उक्त आपत्ति का निराकरण आपके कार्यालय द्वारा किया जाना है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।